प्रेषक,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

अध्यक्ष,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण
नई दिल्ली।

पत्रांक 31 /प्रशा0अधि0–स्थापना–2022 दिनांक 05 अप्रैल, 2022

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील संख्या– 140/2020 विषयक श्री राकेश वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 21.02.2022 के अनुपालनार्थ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक याचिका मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील संख्या– 140/2020 विषयक श्री राकेश वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 21.02.2022 के अनुपालन में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण द्वारा स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त अपनी संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनांक 01.04.2022 को प्रस्तुत की है। जिसकी प्रति मा0 अधिकरण के अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(डा0 शिव कुमार बरनवाल)
अपर जिलाधिकारी (प्र0),
देहरादून।

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई–115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून–248001

REGIONAL OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
E-115, Nehru Colony, Dehradun-248001

पत्रांक सं0–यूकेपीसीबी / आरओडी / NGT-44 / 2021–22 / 15-06 दिनांकः 01/04/22

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गौरा देवी पर्यावरण भवन
आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़
देहरादून।

विषय– **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–140 / 2022 विषयक श्री राकेश वर्मा बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्राक संख्या यूकेपीसीबी / एचओ / सा.–183–553 / 7339, 1420 दिनांक 05.03.2022 व कार्यालय जिलाधिकारी के पत्रांक– 23 / प्रशा0अधि0–(स्थापना)–2022, दिनांक 26.03.2022 के अनुपालन के कम में स्थल खसरा नं–268 मिनी मौजा अजबपुर कला, रिलायन्स बी0पी0 मोबिलिटी लि0, तहसीलदार सदर, देहरादून एवं इस कार्यालय द्वारा दिनांक 30.03.2022 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

भवदीय

/

(डा0 आर0के0 चर्तुवेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपि–अपर जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

AO (स्था0)
ADM(E)
04/04

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–140/2022 विषयक श्री राकेश वर्मा बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्राक संख्या यूकेपीसीबी/एचओ/सा.–183–553/7339, 1420 दिनांक 05.03.2022 व कार्यालय जिलाधिकारी के पत्रांक– 23/प्रशा0अधि0–(स्थापना)–2022, दिनांक 26.03.2022 के अनुपालन के कम में स्थल खसरा नं–268 मिनी मौजा अजबपुर कला, रिलायन्स बी0पी0 मोबिलिटी लि0, तहसीलदार सदर, देहरादून एवं इस कार्यालय द्वारा दिनांक 30.03.2022 को स्थलीय निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान स्थल खसरा नं–268 मिनी मौजा अजबपुर कला, रिलायन्स बी0पी0 मोबिलिटी लि0 पेट्रोल पम्प निर्माणाधीन पाया गया।

1. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने पत्र संख्या–B-13011-01/2019-20-AQM-0809 दिनांक 07.01.2020 के अनुसार **Siting Criteria of Retail Outlet/Petrol Pumps** निम्नानुसार है–
"In case of siting criteria for petrol pumps new Retail Outlets shall not be located within a radial distance of 50 meters (from fill point/dispensing units/vent pipe whichever is nearest from schools, hospitals (10 beds and above) and residential areas designated as per local laws. In case of constraints in providing 50 meters distance, the retail outlet shall implement additional safety measures as prescribed by PESO. In no case the distance between new retail outlet from schools, hospital (10 beds and above) and residential area designated as per local laws shall be less than 30 meters. No high tension line shall pass over the retail outlet." (संलग्नक–1)
2. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के उत्तर दिशा में व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्थापित है, जो कि पेट्रोल पंप के फिलिंग स्टेशन से 10 मीटर दूरी पर स्थित है।
3- दक्षिण दिशा में आवासीय भवन स्थापित हैं, जिनकी प्रस्तावित पेट्रोल पम्प की चारदीवारी से लगे हुए हैं।
4- प्रस्तावित पेट्रेल पम्प के पूर्व दिशा में Vent Pipe से 32 मीटर की दूरी पर आवासीय भवन स्थापित है एवं 33 मीटर की दूरी पर Will Field School स्थापित है।
5- प्रस्तावित पेट्रेल पम्प के पश्चिम दिशा में 30 मीटर की दूरी पर व्यवसायिक व आवासीय भवन स्थापित हैं।

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित पेट्रोल पंप खसरा नं–268 मिनी मौजा अजबपुर कला, रिलायन्स बी0पी0 मोबिलिटी लि0) केंन्द्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक 07.01.2020 का अनुपालन नही करती है और 50 मीटर परिधि में आवासीय भवन व स्कूल स्थापित है। निरीक्षण आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

(राकेश कण्डारी)	(डा0 आर0के0 चतुर्वेदी)	(सुरेन्द्र सिंह)
(सहा0पर्या0अभियन्ता)	(क्षेत्रीय अधिकारी)	तहसीलदार (सदर),
		देहरादून